28.10.2024:—पत्रावली पेशी मे ली गई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र मे कोई कार्यवाही नही कि जा रही है वादी अधिवक्ता को बार बार नोट करवाया गया। उपस्थित नही आए। वादी व वादी अधिवक्ता को बार—बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्तिथ नही आये। वादी व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी/[illegible] हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से [illegible] की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.10.30 12:54:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़